न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/16/2025	2025/125	21.04.2025	16.12.2025

1.केशर देवी पुत्री स्व० श्री मनफूल पत्नि श्री छीतरमल बैरवा जाति बैरवा आयु करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ हाल निवासी ग्राम पूंदरा तहसील रैणी जिला अलवर।

2.आनन्दी देवी पुत्री स्व० श्री मनफूल पत्नि श्री बृजलाल बैरवा जाति बैरवा आयु करीब 66 वर्ष निवासी ग्राम डाबला मेंव तहसील राजगढ हाल निवासी ग्राम पूंदरा तहसील रैणी जिला अलवर।

––अपीलाण्ट्स

बनाम

1.बनवारी पुत्र स्व० कजोडी उर्फ कजोडा जाति बैरवा आयु करीब 56 साल,
2.सम्पत पुत्र स्व० कजोडी उर्फ कजोडा जाति बैरवा आयु करीब 66 साल,
3.किशनी पुत्री स्व० कजोडी उर्फ कजोडा जाति बैरवा आयु करीब 64 साल,
4.भौती पुत्री स्व० कजोडी उर्फ कजोडा जाति बैरवा आयु करीब 62 साल,
5.फूलबाई पुत्री स्व० कजोडी उर्फ कजोडा जाति बैरवा आयु करीब 60 साल,
6.देवी सहाय पुत्र स्व० गोपाल जाति बैरवा आयु करीब 60 साल निवासीयान ग्राम डाबला मेंव तहसील राजगड जिला अलवर।
7.तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर।

––रैस्पाडैन्ट्स

अपील निर्णय विरूद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर बाबत नामांतकरण संख्या 93 वाके ग्राम डाबलामेंव तहसील राजगढ जिला अलवर दिनांक 04.06.1981।

उपस्थितः–

01. श्री सुभाष चन्द सैनी –वकील अपीलाण्ट्स
02. सुमनलता सेनी –वकील रेस्पोडेन्ट्स 1 लगा0 5
03. श्री मुनीराम यादव –वकील रेस्पोडेन्ट्स 6

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 29.09.2020 प्रार्थना पत्र रमेशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि अपीलान्ट के पिता मनफूल पुत्र चन्दा कौम चमार (बैरवा निवासी ग्राम डाबला मेंव तहसील राजगढ़ जिला अलवर साबिक खसरा नम्बर 35 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 95/0.31, 96/0.57 वाके ग्राम डाबला मॅव तहसील राजगढ जिला अलवर का 1/6 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार था । अपीलान्टान का पिता मनफूल अपने जीवनकाल तक अपना हिस्सा की उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा है और मनफूल की मृत्यु के पश्चात अपीलान्टान बहैसियत वारिस (जो कि मृतक मनफूल की पुत्रीया है) काबिज होकर काश्त करती चली आ रहीं है। और अपीलान्टान मृतक मनफूल के सम्पूर्ण हिस्सा की उपरोक्त आराजी की बहिस्सा बराबर बराबर की काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलान्टान केशर देवी व आनन्दी देवी मृतक मनफूल की पुत्रीयां है तथा जायज वारिस काबिज जायदाद है और अपीलान्टान के अतिरिक्त मृतक मनफूल के अन्य कोई वारिस नहीं है। अपीलान्टान अपनी अपनी ससुराल में ग्राम पूंदरा तहसील रैणी जिला अलवर में निवास करती है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

और समय समय पर गांव डाबला मेव तहसील राजगढ में आकर अपने पिता मनफूल से प्राप्त उपरोक्त आराजी को काश्त करती है। रैस्पाडैन्टान संख्या 1 लगायत 5 के पिता कजोडी उर्फ कजोडा व रैस्पा० 6 का पिता गोपाल जो कि अपीलान्टान के पिता मृतक मनफूल के सगे भाई थे ने बराये बदयान्ति बेईमानी पूर्ण आशय रखते हुये अपीलान्टान के ससुराल में रहने का बेजा फायदा उठाते हुये अपीलान्टान के पिता मनफूल की मृत्यु के पश्चात अपीलान्टान के पिता मनफूल को लावल्द बिला औरत दर्ज कराते हुये पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत से साज बाज होकर कजोडी उर्फ कजोडा व गोपाल ने अपीलान्टान के पिता मनफूल का अपने आपको वारिसान होना दर्ज करते हुये नामांतकरण दर्ज वो स्वीकार करा लिया जो फैसला दिनांक 4.6.81 बाबत नामांतकरण संख्या 93 वाके ग्राम डाबला मेंव तहसील राजगढ़ से व्यथित होकर अपीलान्ट की और से निम्न उजात के साथ अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश।

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर दिनांक 04.06.1981 बाबत नामांतकरण संख्या 93 वाके ग्राम डाबलामेव तहसील राजगढ जिला अलवर खिलाफ कानून व कयासिया आधार पर आधारित होने से उक्त निर्णय निरस्त किया जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है। नामांतकरण की कार्यवाहीं एक जुडिशियल कार्यवाहीं है जिसमें कानून का ध्यान रखा जाना आवश्यक है तथा नामांतकरण का निर्णय किये जाने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर को मृतक व्यक्ति के वारिसान का नाम व पता के बारे में सम्पूर्ण जाँच पडताल की जानी चाहिऐ थी लेकिन जैसा नामांतकरण दर्ज वो स्वीकार किया गया है से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर द्वारा अपीलान्टान के पिता मनफूल के वारिसान के नाम व पता के बारे में कोई जाँच पडताल नहीं की गई है और ना मृतक व्यक्ति के वारिसान के नाम व पता के बाबत कोई दस्तावेज लिये गये है और ना कोई साक्ष्य ली गई है जैसा पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण दर्ज किया गया था उसे न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर द्वारा राजस्व कैम्प पलवा में फैसल कर दिया जिससे अपीलान्टान को उनके पिता स्व० मनफूल से प्राप्त उक्त आराजी मजकूर के हकूक खातेदारी प्रभावित हो गये है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर द्वारा नामांतकरण संख्या 93 वाके ग्राम डाबला मेंव तहसील राजगढ जिला अलवर का फैसला किये जाने से पूर्व उजदारी नोटिस भी जारी किये जाने चाहिऐ थे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ द्वारा कानूनी प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुये कोई उजदारी नोटिस जारी नहीं किये गये है तथा पटवारी हल्का द्वारा राजस्व कैम्प पलवा में उक्त नामांतकरण को फैसल हेतु पेश किया था जिसे उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ द्वारा फैसल कर दिया गया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। बाकी उजात वक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अपीलान्टान द्वारा उक्त नामांतकरण संख्या 93 वाके ग्राम डाबला मॅव तहसील राजगढ निर्णय दिनांक 4.6.81 से अपील एक माह की अवधि में पेश की जानी चाहिऐ थी लेकिन अपीलान्ट को उक्त निर्णय का इल्म दिनांक 11.09.2022 को हुआ जबकि अपीलान्ट ने अपनी आराजी के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो अपीलान्ट को मालुम चला कि अपीलान्टान को उनके पिता स्व० मनफूल से प्राप्त आराजी नामांतकरण संख्या 93 के आधार पर रैस्पा० संख्या 1 लगायत 5 के पिता कजोडा उर्फ कजोडी व रैस्पा० संख्या के पिता गोपाल जो कि अपीलान्टान के पिता मृतक मनफूल के सगे भाई है के नाम व कजोडा उर्फ कजोडी एंव गोपाल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी रैस्पा० संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज हो चुकी है। जिस पर अपीलान्टान ने नकल नामांतकरण संख्या 93 हेतु आवेदन किया जो नकल नामांतकरण 13.09.2022 को प्राप्त हुई है जिससे अपील साधारणतया अन्दर मियाद पेश है। तथा अपील पेश करने में जो देरी हुई है जो मजबूरी वश हुई है जिसे माफ किये जाने का प्रार्थना पत्र पृथक से धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ के निर्णय दिनांक 4.6.1981 बाबत नामांतकरण संख्या 93 वाके ग्राम डाबला मेंव तहसील राजगढ जिला अलवर के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो न्यायालय श्रीमान की अधिनस्थ न्यायालय होने से अपील न्यायालय श्रीमान जी के सुनने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टान पेश कर न्यायालय श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 04.06.1981 बाबत नामांतकरण संख्या 93 वाके ग्राम डाबला मेंव तहसील राजगढ जिला अलवर को निरस्त किया जाकर रिमाण्ड किया जावे तथा मृतक मनफूल पुत्र चन्दा जाति चमार निवासी डाबला मेंव तहसील राजगढ की विरासत का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नामांतकरण अपीलान्टान केशर देवी आनन्दी देवी पुत्रीयान स्व० मनफूल जाति चमार (बैरवा) हाल निवासी पूँदरा तहसील रैणी जिला अलवर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृ पा करे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान मुनासिब समझे प्रार्थीगण अपीलान्ट को प्रदान करने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित।

वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की जो निम्न प्रकार है कि ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ़ (अलवर के अनुसार प्रार्थी अपीलान्टान के पिता मनफूल पुत्र चन्दा कोम चमार (बेरखा) निवासी डाबला मेव साबिक खसरा नम्बर 35 रकबा कीधा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 95/031, 96/0.57 वाके ग्राम डाबला भेव तहसील राजगढ़ (अलवर) का 16 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार था, जो अपने जीवन काल तक अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा उसकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्टयन बहैसियत वारिस काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अपीलान्टान केशर देवी व आनन्दी देवी मृतक मनफूल की पुत्रियाँ है तथा जामज वारिस काबिज जायदाद है अपीलांटान के अतिरिक्त मृतक मनफूल के अन्य कोई वारिस नहीं है, अपीलांटान अपनी ससुराल ग्राम पूंदरा में निवास करती है और समय–समय पर ग्राम डाबला मेव में आकर अपने पिता मनफूल से प्राप्त आराजी को काश्त करती है। नामान्तकरण संख्या 93 के अनुसार चन्दा की विरासत का सजरा कायम करते हुये नामान्तकरण के पीछे के पृष्ठ पर मृतक मनफूल को लावल्द बिला औरत दार्ज करते हुये दिनांक 04.06.1981 को मनफूल का नामान्तकरण काजोडा व गोपाल ने अपने नाम दार्ज वो स्वीकार करवा लिया। साबिक खसरा नम्बर 35 का हाल खसरा नम्बर 94/0.37, 95/0.31 एवं 96/0.57 बाके ग्राम डाबला मेव कायम किये गये हैं जिनमें से कजोज गोपाल व मनफूल के हिस्से में खसरा नम्बर 95/0.31 एवं 96/0.57 आये है जो हाल जमाबन्दी सम्मत 2069–2075 में अंकन है। गोपाल की मृत्यु के बाद उसकी विरासत कैस्पोडेन्ट नम्बर 6 देवी सहाय के नाम खातेदारी में दार्ज हो गई, क्योंकि देवीसहाय, गोपाल का इकलौता पत्र है, तथा काजोडी उर्फ काजोडा की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत उनकी पत्नी, पुत्री तथा पुत्रों के नाम खातेदारी में दार्ज हो गई जिनकी अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 बनाया गया है। अपीलान्टान के जन–आधार कार्ड के फैमिली डिटेल में उनके नाम के साथ साथ उनके माता–पिता का नाम अंकित है, जिसकी पुष्टी उनके आधार कार्ड से भी होती है। अतः श्रीमान के समक्ष मजीद बहस गर्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टान की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 04.06. 1981 बाबत नामान्तकरण संख्या 93 वाके ग्राम गवता मेव तहसील राजगढ़ (अलवर) को निरस्त किया जाकर रिमाण्ड किया जाने तथा मृतक मनफूल पुत्र चन्दा की विरासत का नामान्तकरण अपीलान्टरान केशर देवी व आनन्दी देवी पुत्रीयान स्व. मनफूल जाति चमार बैरवा हाल निवासी पूंदरा तह. रेणी अलवर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अपीलांट्स के मुख्य कथन हैं कि विवादित भूमि के मूल खातेदार स्व. श्री मनफूल का देहावसान हो चुका है। अपीलानुसार स्व. श्री मनफूल की पुत्रियां केशर देवी व आनन्दी देवी न्यायालय हाजा में अपील के माध्यम से पेश हुई हैं जो विधि अनुसार उनकी प्रथम श्रेणी की वैध उत्तराधिकारी है। स्व. श्री मनफूल मूल खातेदार के निधन के पश्चात उनके भाई (चाचा) श्री कजोड एवं गोपाल द्वारा मृतक मनफूल को लाऔलाद तथा स्वयं को स्व0 मनफूल का एकमात्र उत्तराधिकारी बताकर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। उक्त गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 04.06.1981 को विवादित इंतकाल संख्या 93 तैयार किया गया जबकि वास्तविकता में चाचा का मृतक की वास्तविक उत्तराधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उसकी पुत्रियां हैं। इंतकाल प्रक्रिया के दौरान मृतक की पुत्रियों के अस्तित्व को जानबूझकर छुपाया गया, न तो उसे नोटिस दिया गया और न ही उसकी सहमति ली गई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में यह मुख्य प्रश्न है कि मृतक का वास्तविक कानूनी उत्तराधिकारी कौन है? विवादित इंतकाल धोखाधड़ी पर आधारित है या नहीं? ये प्रश्न स्वामित्व एवं उत्तराधिकार से जुड़े हैं। यह विधि स्थापित है कि उत्तराधिकार, धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जुड़े विवादों का निर्णय राजस्व न्यायालय नहीं बल्कि सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। इस मामले में न्यायालय हाजा की भूमिका सीमित है। न्यायालय हाजा अपीलीय स्तर पर केवल राजस्व रिकॉर्ड की प्रक्रिया देख सकता है, किंतु पुत्री के अधिकार, फर्जी दावों, झूठे रिश्ते, साक्ष्य व गवाहों की जांच का निर्णय उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। जहां उत्तराधिकार व धोखाधड़ी का प्रश्न हो, वहाँ पक्षकारों को सक्षम न्यायालय मे जाना न्यायसंगत है। विवादित इंतकाल धोखाधड़ी एवं कानूनी जालसाजी पर आधारित हो सकता है। अतः उक्त प्रश्नों के निर्धारण हेतु अपीलकर्ता को सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अपील अपीलांट इस स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर